उत्तर प्रदेश पुलिस
उत्तर प्रदेश
112
आपात सेवाएं
वरिष्ठ नागरिक सम्बंधित समस्याएँ

विषय सामग्री

क्रमांक	सामग्री	समय (मिनट)	स्लाइड संख्या
1	परिचय	10	06
2	नया सवेरा - परिचय	15	07-08
3	लक्ष्य	10	09
4	उद्देश्य	15	10
5	घटना का प्रकार व उपप्रकार	05	11-12
6	बुजुर्गों की समस्याएं	20	13
7	केस स्टडी	40	14-16
8	समस्याओं के कारण	15	17
9	रोल प्ले	30	18

विषय सामग्री

क्रमांक	सामग्री	समय (मिनट)	स्लाइड संख्या
11	वरिष्ठ नागरिकों के प्रति बढ़ते अपराध में पुलिस के दायित्व	10	23
12	वरिष्ठ नागरिकों के उत्पीड़न की दशा में PRV की भूमिका	10	24
13	बुजुर्गों को अत्याचार से बचाने में NGO की सहभागिता	10	25
14	वीडियो (वरिष्ठ नागरिकों को होने वाली समस्याओं से सम्बन्धित)	20	26
15	वीडियो (नयी व पुरानी पीढ़ियों के बीच बढ़ता हुआ अंतर व एकाकीपन)	25	27
16	केस स्टडी	20	28-30

विषय सामग्री

क्रमांक	सामग्री	समय (मिनट)	स्लाइड संख्या
21	अपराध और विचारण के लिए प्रक्रिया	10	42
22	वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण अधिकार	10	43
23	उ०प्र० वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण अधिनियम 2014 के विभिन्न प्रावधान	10	44-45
21	क्विज़	15	47-49
22	प्रश्नोत्तर व केस स्टडी	30	50-51
23	निष्कर्ष	10	52
24	स्त्रोत	10	53
25	शपथ व धन्यवाद	10	54-55

परिचय

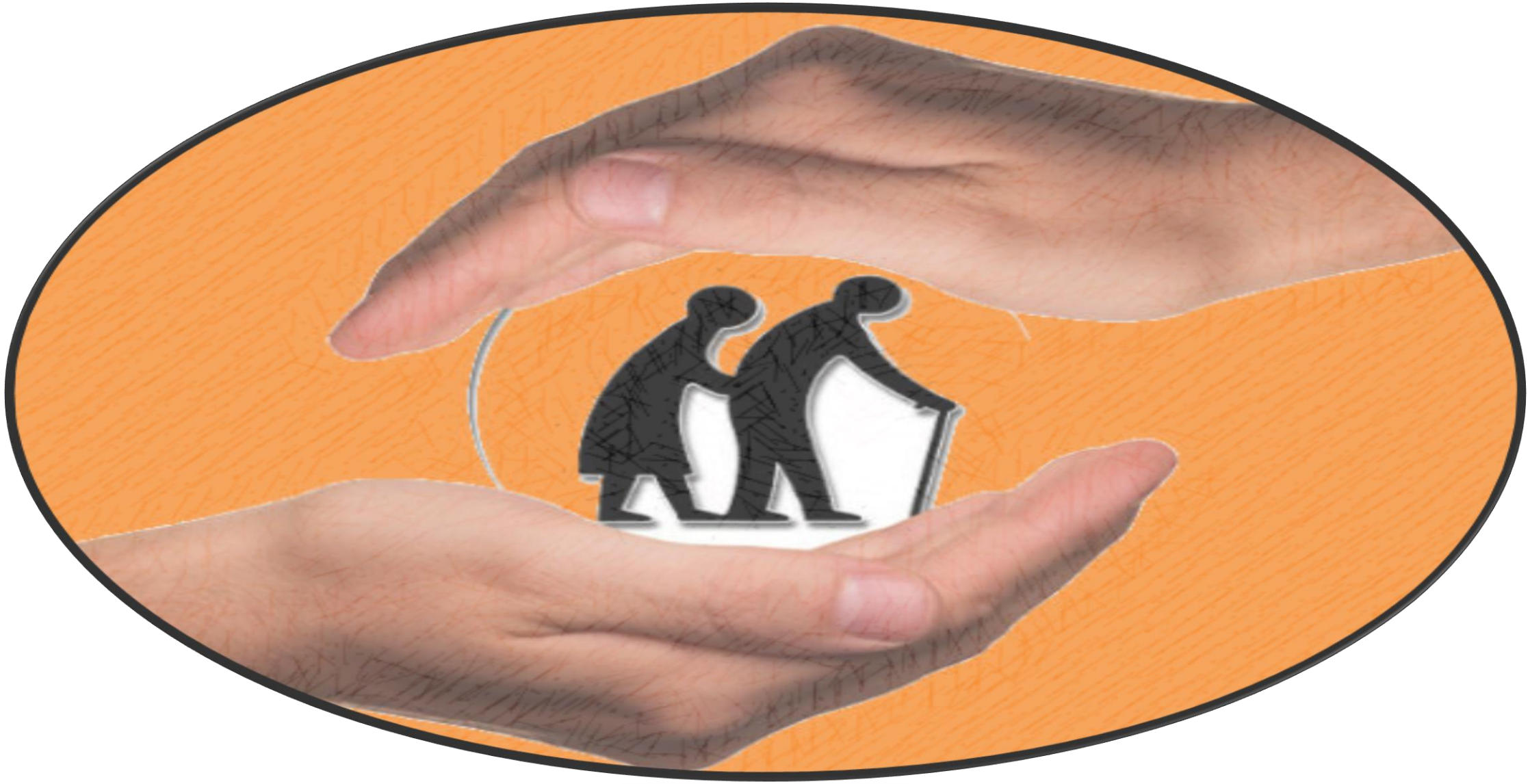

“नया सवेरा” - एक प्रयास

समाज के वरिष्ठ नागरिक विभिन्न कारणों से तरह-तरह की तकलीफें व दुर्व्यवहार झेलते हैं| प्रायः यह कारण अकेलापन अथवा आर्थिक निर्भरता व अपनों का दुर्व्यवहार हो सकता है, तथापि एक सभ्य, सुसंस्कृत व सुरक्षित समाज में बुजुर्गों की यह दशा अस्वीकार्य है| विभिन्न शारीरिक, आर्थिक व मानसिक कारणों से समाज का यह वर्ग विभिन्न प्रकार के दुर्व्यवहारों के प्रति अधिक संवेदनशील होता है|

एक जिम्मेदार नागरिक व पुलिस अधिकारी के रूप में हमारा उत्तरदायित्व समाज के वरिष्ठ नागरिकों के प्रति बढ़ जाता है| इसी को ध्यान रखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने 26 अक्टूबर 2019 को “नया सवेरा” नामक अभियान का लोकार्पण किया| इस अभियान को सार्वभौमिक आपातकालीन नंबर 112 से सम्बद्ध किया गया है|

“नया सवेरा” अभियान की विशेषताएं

- उत्तर प्रदेश पुलिस के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिक मध्यस्थता सेल की स्थापना
- वरिष्ठ नागरिकों सम्बन्धित समस्याओं के निदान हेतु निःशुल्क नंबर 1800-180-0060
- अभियान के तहत वरिष्ठ नागरिकों का पंजीकरण
- मानवीय दृष्टिकोण के साथ बुजुर्गों के सम्मान की रक्षा व उनकी समस्याओं का निदान
- बुजुर्गों को विशेसज्ञों द्वारा उचित सहायता प्रदान करना व उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना
- वरिष्ठ नागरिक सम्बन्धी समस्याओं का उच्च प्राथमिकता के साथ निवारण सुनिश्चित करना

लक्ष्य

तत्काल घटना स्थल पर पहुंचकर सहयोग का भरोसा दिलाना, उचित मदद पहुँचाना एवं यदि आवश्यक हो तो प्राथमिक उपचार की सहायता मौके पर ही उपलब्ध करवाना तथा आपसी सहमति से विवाद का निराकरण करना

उद्देश्य

इस सत्र के अंत तक आप निम्नलिखित कार्य करने में सक्षम होंगे:

- वरिष्ठ नागरिकों के साथ समानुभूति पूर्ण व्यवहार करने में
- वरिष्ठ नागरिकों की परिस्थिति अनुसार उचित सहायता करने में
- उनके अधिकारों की रक्षा करने में
- वरिष्ठ नागरिकों को “नया सवेरा” अभियान से जोड़ने में

Senior Citizen Crime (01st Apr 2023 to 31st March 2024)

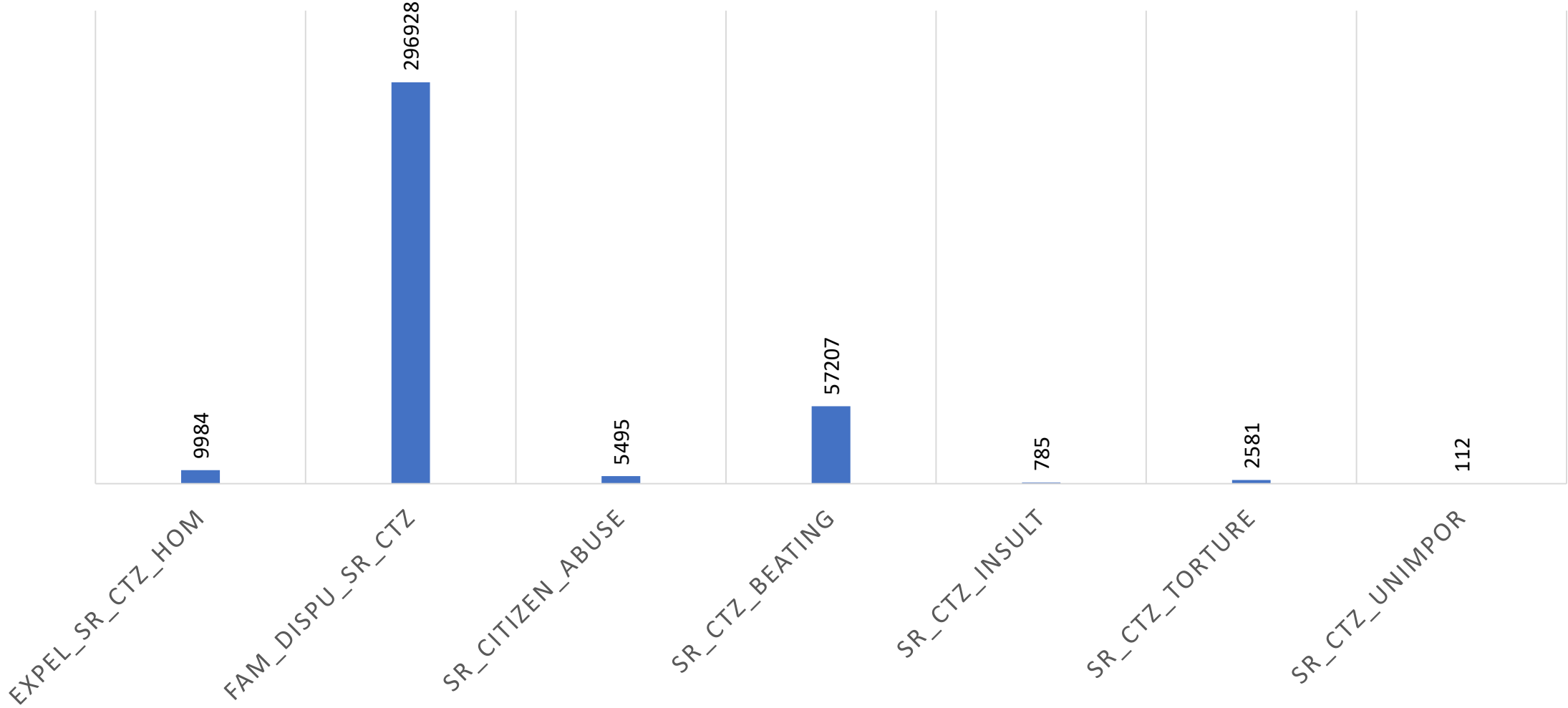

यू०पी०112- में 1 अप्रैल 2022 से 30 जून 2022 वरिष्ठ नागरिकों से सम्बन्धित आंकड़े

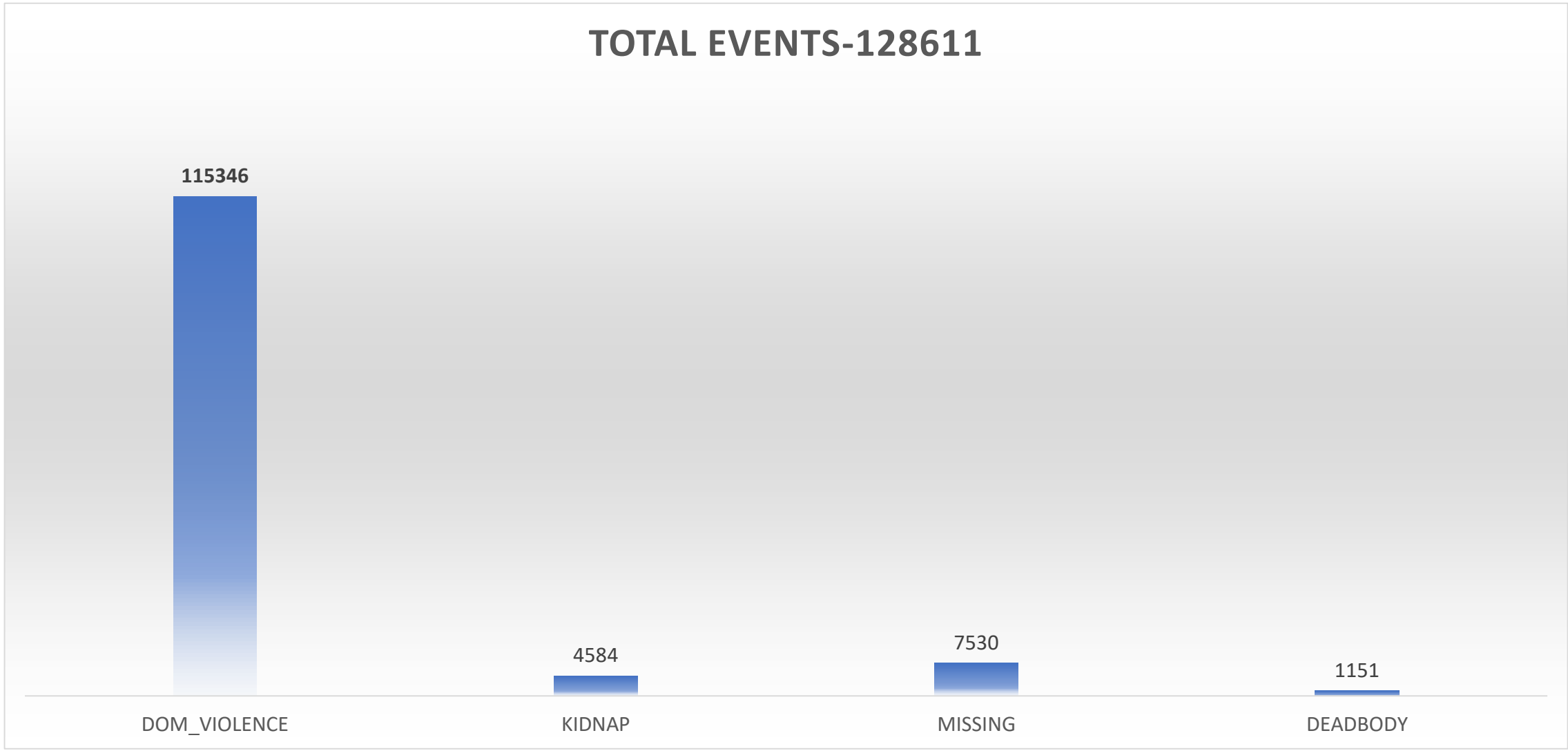

यू०पी०112- में 1 अप्रैल 2022 से 30 जून 2022 वरिष्ठ नागरिकों से सम्बन्धित आंकड़े

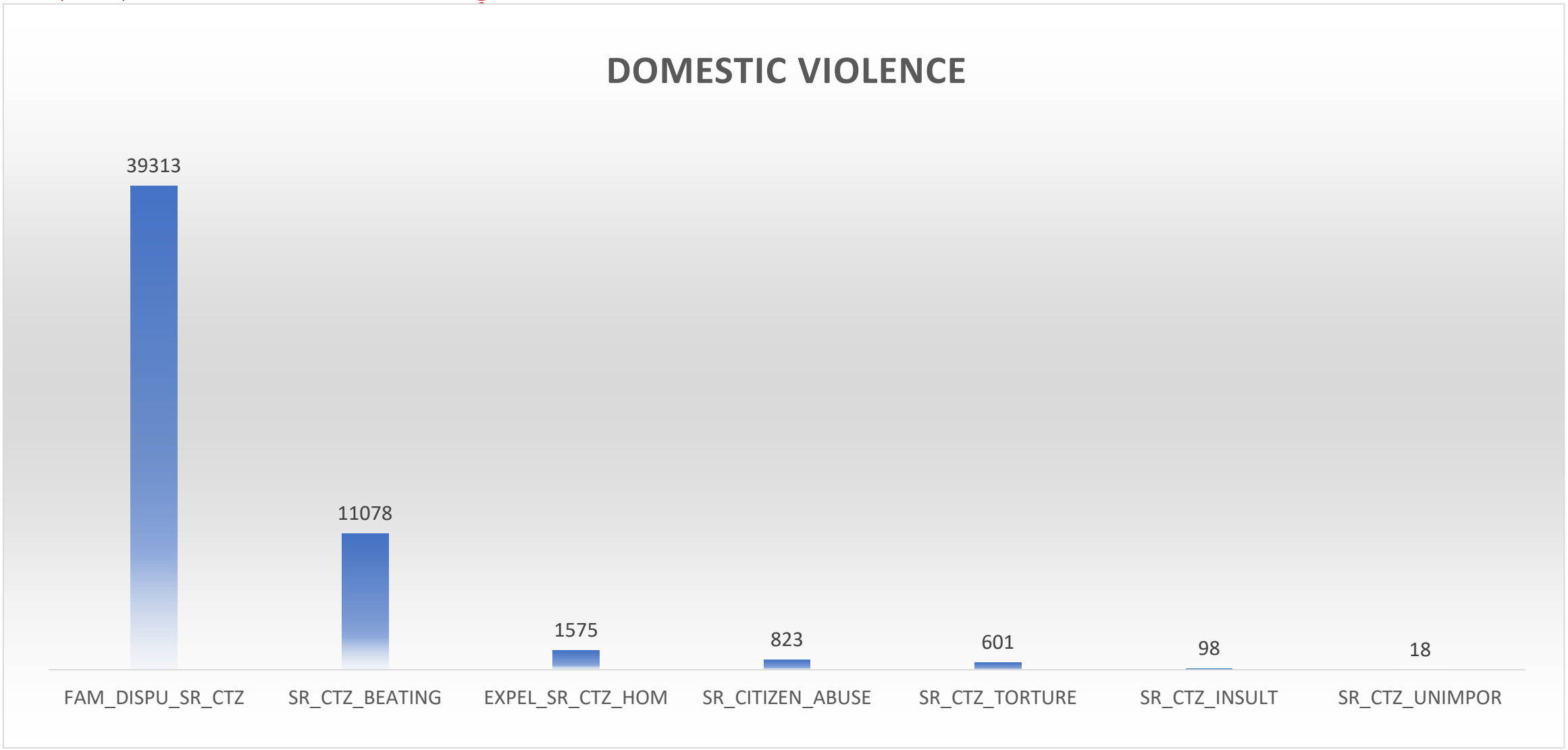

यू०पी०112- में 1 अप्रैल 2022 से 30 जून 2022 वरिष्ठ नागरिकों से सम्बन्धित आंकड़े

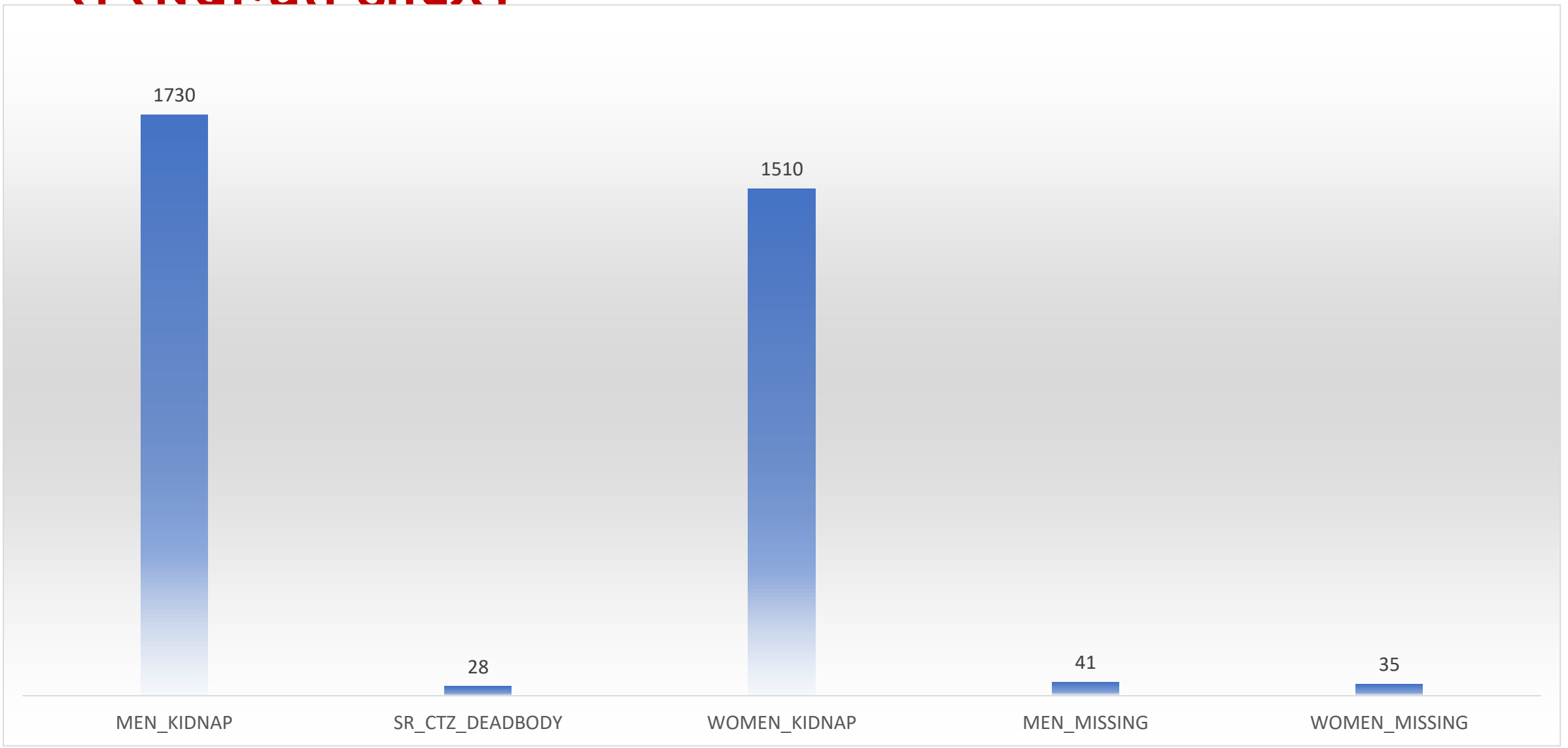

घटना का प्रकार व उपप्रकार -

DOM_VIOLENCE (घरेलू हिंसा)

EXPEL_SR_CTZ_HOM (वरिष्ठ नागरिक को घर से निष्काषित करना)

FAM_DISPU_SR_CTZ (वरिष्ठ नागरिक के साथ पारिवारिक विवाद)

SR_CTZ_BEATING (वरिष्ठ नागरिक के साथ मारपीट करना)

SR_CTZ_ABUSE (वरिष्ठ नागरिक से गाली गलौच)

SR_CTZ_INSULT (वरिष्ठ नागरिक को अपमानित करना)

SR_CTZ_TORTURE (वरिष्ठ नागरिक को अन्य प्रकार की यातना देना)

SR_CTZ_UNIMPOR (वरिष्ठ नागरिक को महत्व न देना)

घटना का प्रकार व उपप्रकार -

DEADBODY (मृत शव)

SR_CTZ_DEADBODY (वरिष्ठ नागरिक का शव)

KIDNAP (अपहरण)

MEN_KIDNAP (पुरूष का अपहरण)

WOMEN_KIDNAP (महिला का अपहरण)

MISSING (गुमशुदगी)

MEN_MISSING (जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत व्यक्ति की गुमशुदगी)

WOMEN_MISSING (जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत महिला की गुमशुदगी)

बुजुर्गों की समस्याएँ

- शारीरिक समस्या
- सामाजिक समस्या
- मानसिक समस्या
- स्वास्थ्य समस्या
- पारिवारिक समस्या
- आर्थिक समस्या

केस स्टडी

SR_CTZ_BEATING (वरिष्ठ नागरिक के साथ मारपीट करना)

- इवेंट नं - P13051900029
- कॉलर ने क्या कहा

- इस घटना का संक्षिप्त विवरण बनाएं
- इस घटना में एक PRV कर्मी के रूप में आप से क्या अपेक्षा की जाती है?
- आप को इस घटना की सूचना मिलने पर आप क्या-क्या करेंगे?

घटना सम्बन्धित विवरण

CO

Event Number	Call Time Stamp	Dispatch Time Stamp	Incident Time
P13051900029	13-05-2019 00:00:14	13-05-2019 00:01:59	--

District	Police Station	Area	Tehsil
SITAPUR	SANDANA	STP-AREA-NORTH	--

Event Type	Event Sub Type	Incident Address
DOM_VIOLENCE	SR_CTZ_BEATING	STP-MISHRIKH NEAR BY PRIMARY SCHOOL GAO NAVADA KHURD,SITAPUR

Caller Name	CallerNumber	Caller Address	Caller Type
SUKHRAM S/O AHIBARAN	919305139869	,,,,,	GENERAL

Remarks	CO Name(CO id)
#POI,,,,,,,,, CALLER NUMBER:919305139869 ,,,,,,भाई है जो पापा को बहुत मारा है गाली दे रहे है घटना ,,,10,,,, मिनट पहले की है STP-MISHRIKH NEAR BY PRIMARY SCHOOL GAO NAVADA KHURD,SITAPUR ,STP1804,PRV 1806 NE BATAYA KI DONO PAKSHO KO KARAYBAHI HETU THANE JANE KO BATAYA GAYA HAI	MANSI VERMA (562547)

विचारणीय बिंदु

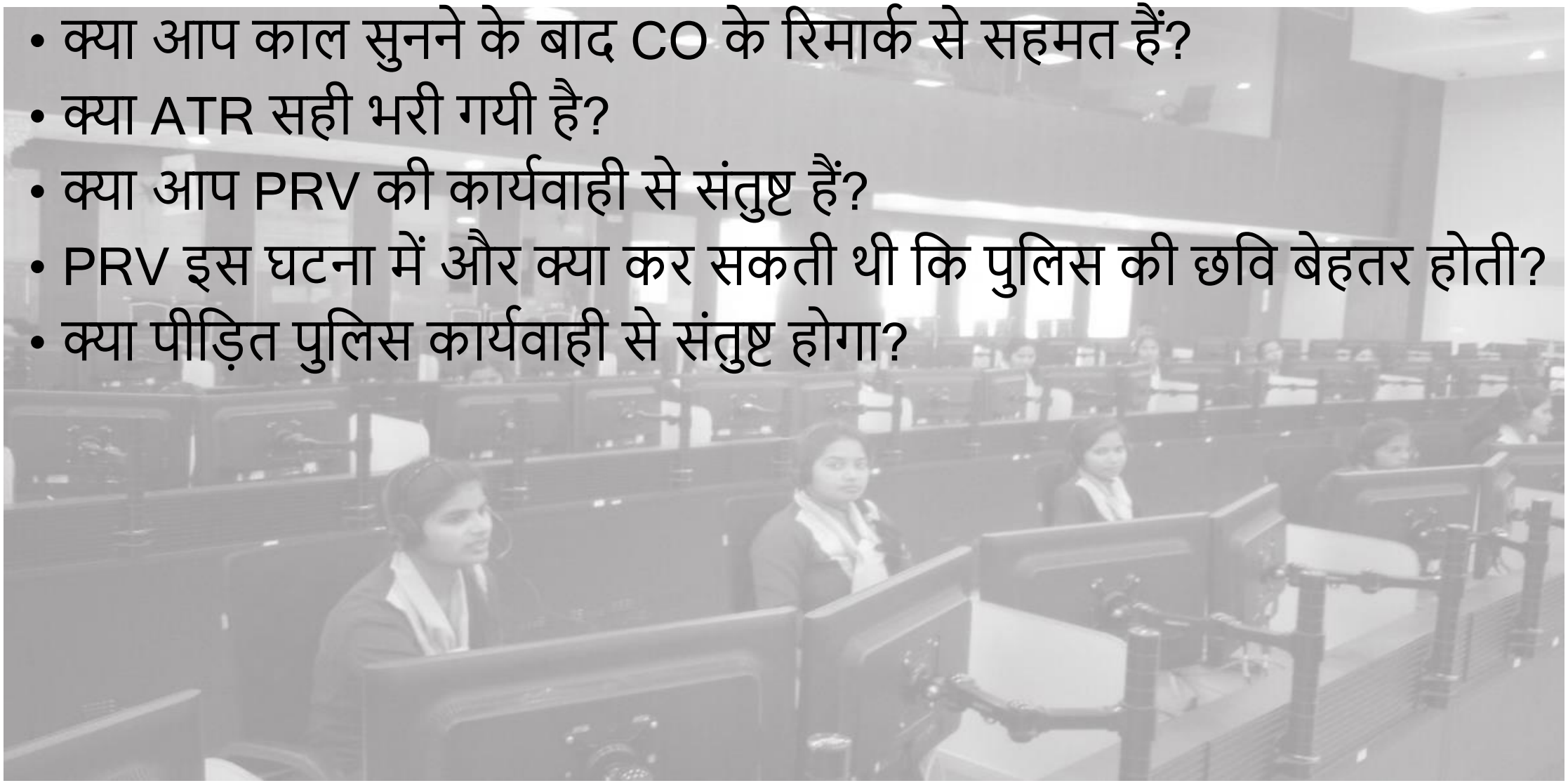

- क्या आप काल सुनने के बाद CO के रिमार्क से सहमत हैं?
- क्या ATR सही भरी गयी है?
- क्या आप PRV की कार्यवाही से संतुष्ट हैं?
- PRV इस घटना में और क्या कर सकती थी कि पुलिस की छवि बेहतर होती?
- क्या पीड़ित पुलिस कार्यवाही से संतुष्ट होगा?

समस्याओं के कारण

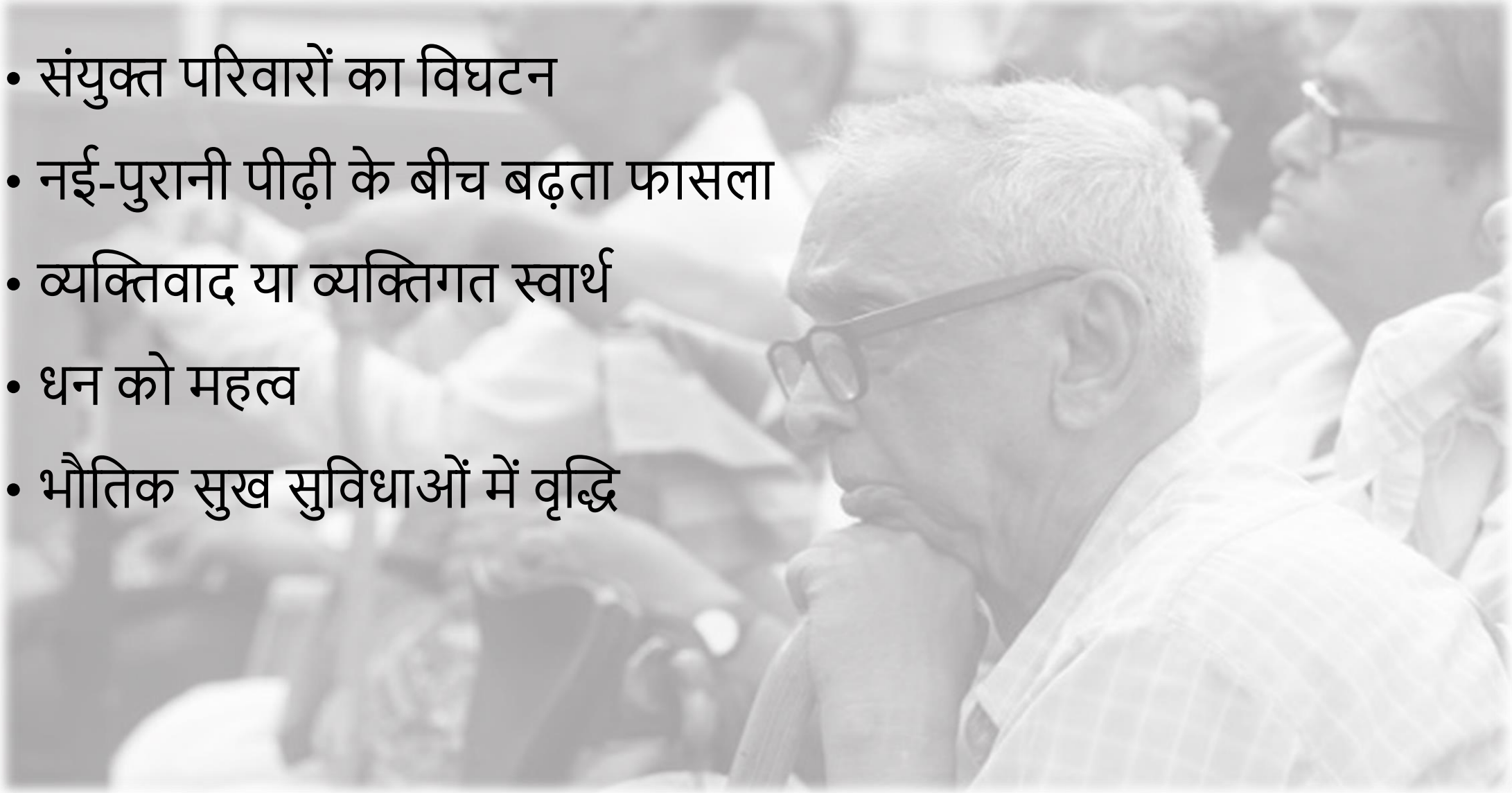

- संयुक्त परिवारों का विघटन
- नई-पुरानी पीढ़ी के बीच बढ़ता फासला
- व्यक्तिवाद या व्यक्तिगत स्वार्थ
- धन को महत्व
- भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि

रोल-प्ले

बुजुर्गों पर होने वाले अत्याचार (Elder Abuse)

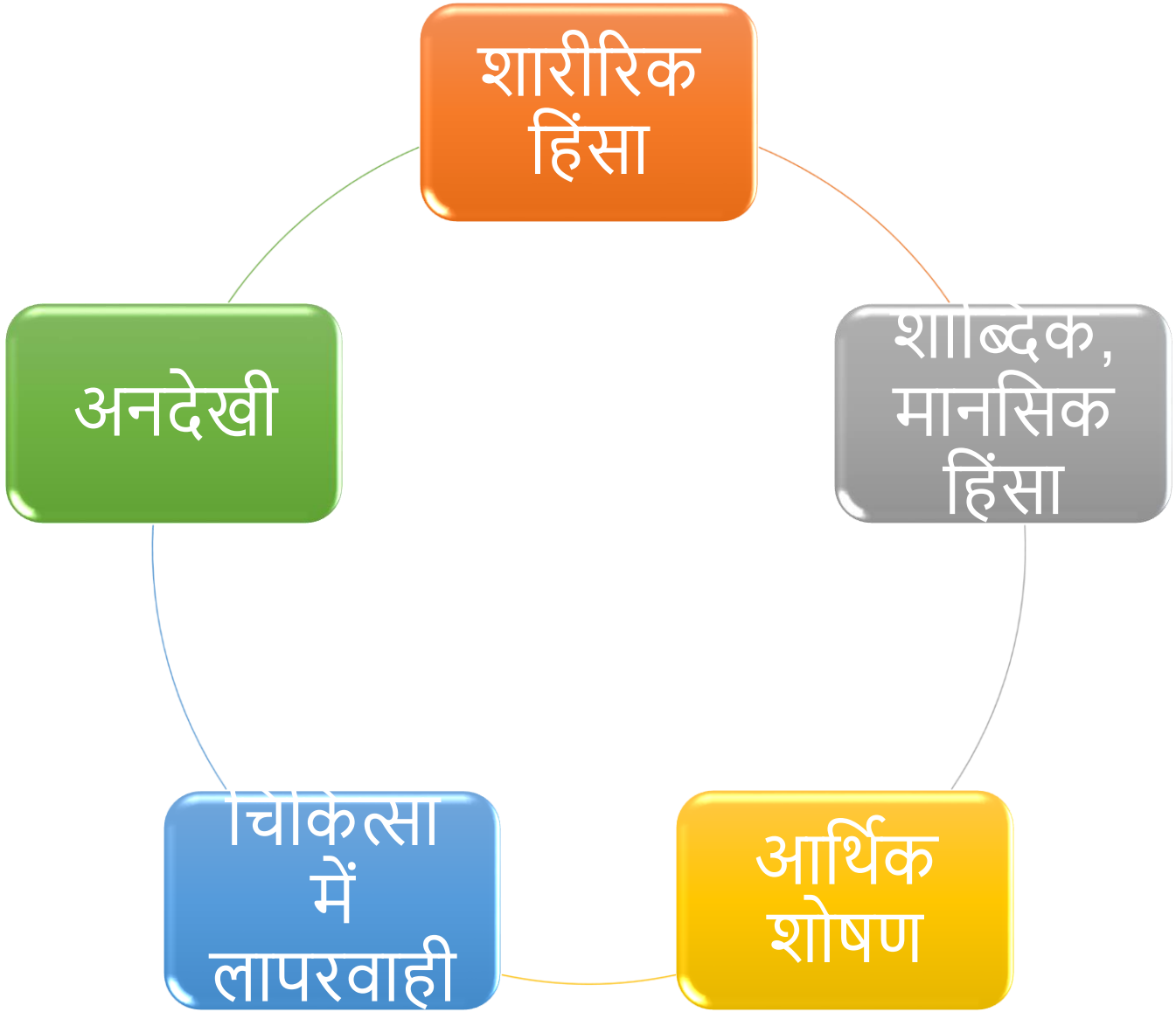

केस स्टडी

- इवेंट नं - P13051901351
- कॉलर ने क्या कहा

- इस घटना का संक्षिप्त विवरण बनाएं
- इस घटना में एक PRV कर्मी के रूप में आप से क्या अपेक्षा की जाती है?
- आप को इस घटना की सूचना मिलने पर आप क्या-क्या करेंगे?

घटना सम्बन्धित विवरण

CO

Event Number	Call Time Stamp	Dispatch Time Stamp	Incident Time
P13051901351	13-05-2019 01:33:55	13-05-2019 01:36:00	--

District	Police Station	Area	Tehsil
GORAKHPUR	SAHAJANWA	GKR-AREA-RURAL	--

Event Type	Event Sub Type	Incident Address
DOM_VIOLENCE	SR_CTZ_TORTURE	GKR-CAMPIARGANJ..GHNSHYAM NAGRI,WARD NO-09,JUNGLE KE PASS,GORAKHPUR

Caller Name	CallerNumber	Caller Address	Caller Type
AZAD ALI	9956325397	,,,,,	GENERAL

Remarks	CO Name(CO id)
#LBS-CALLER NUMBER:9956325397..AZAD ALI की बहु लड़ाई कर रही है और परेशान कर रही है। ..अभी की घटना है।..GKR-CAMPIARGANJ..GHNSHYAM NAGRI,WARD NO-09,JUNGLE KE PASS,GORAKHPUR,GKR0342,CALLER KO THANE JANE HETU BATAYA GYA	KM SHIVANI (488989)

विचारणीय बिंदु

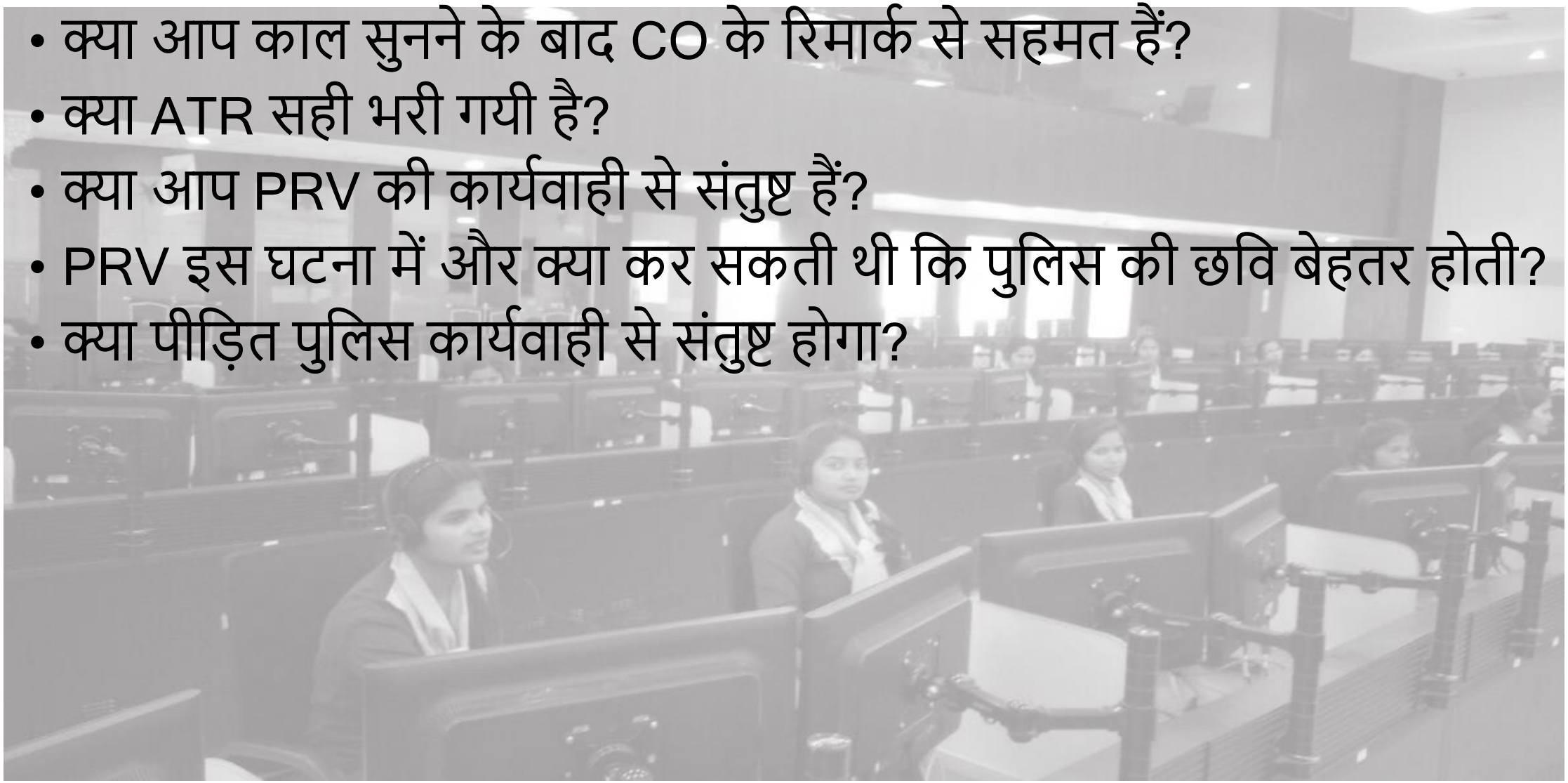

- क्या आप काल सुनने के बाद CO के रिमार्क से सहमत हैं?
- क्या ATR सही भरी गयी है?
- क्या आप PRV की कार्यवाही से संतुष्ट हैं?
- PRV इस घटना में और क्या कर सकती थी कि पुलिस की छवि बेहतर होती?
- क्या पीड़ित पुलिस कार्यवाही से संतुष्ट होगा?

वरिष्ठ नागरिकों के प्रति बढ़ते अपराध में पुलिस का दायित्व

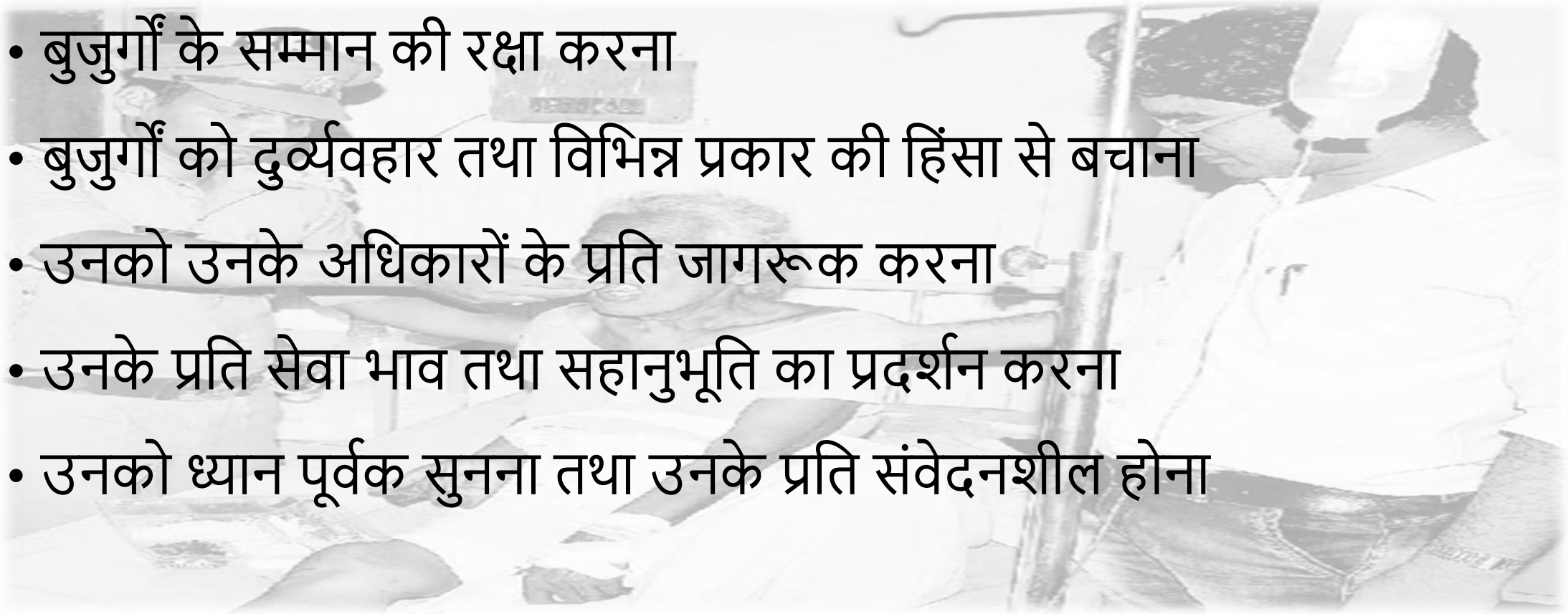

- बुजुर्गों के सम्मान की रक्षा करना
- बुजुर्गों को दुर्व्यवहार तथा विभिन्न प्रकार की हिंसा से बचाना
- उनको उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना
- उनके प्रति सेवा भाव तथा सहानुभूति का प्रदर्शन करना
- उनको ध्यान पूर्वक सुनना तथा उनके प्रति संवेदनशील होना

वरिष्ठ नागरिकों के उत्पीड़न की दशा में PRV की भूमिका

- तत्परता से सहायता करना
- समस्या सुनना
- समानुभूति पूर्ण व्यवहार
- समस्याओं की अनदेखी न करना
- पूर्ण जानकारी
- सेवा भाव
- सकारात्मक रवैया
- निष्पक्ष रहना
- समन्वय स्थापित करना
- विधि सम्मत कार्यवाही

बुजुर्गों को अत्याचार से बचाने में NGO की सहभागिता

- वरिष्ठ नागरिकों की कुछ ऐसी समस्याएं होती है, जिनका तत्काल निराकरण पुलिस तथा न्यायालय द्वारा नहीं हो पाता है
- ऐसी स्थिति में पुलिस, NGO की मदद ले सकती है तथा NGO की सहभागिता से समस्या का निवारण तथा अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करने में मदद मिलती है
- जिसके लिए पुलिस अपने जनपद में सरकारी तथा गैरसरकारी संगठनों द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सुविधाएं प्राप्त करा सकती है, इससे बुजुर्गों के प्रति हो रहे अत्याचारों को कम करने में मदद मिलती है

चलचित्र (वरिष्ठ नागरिकों को होने वाली समस्याओं से सम्बन्धित)

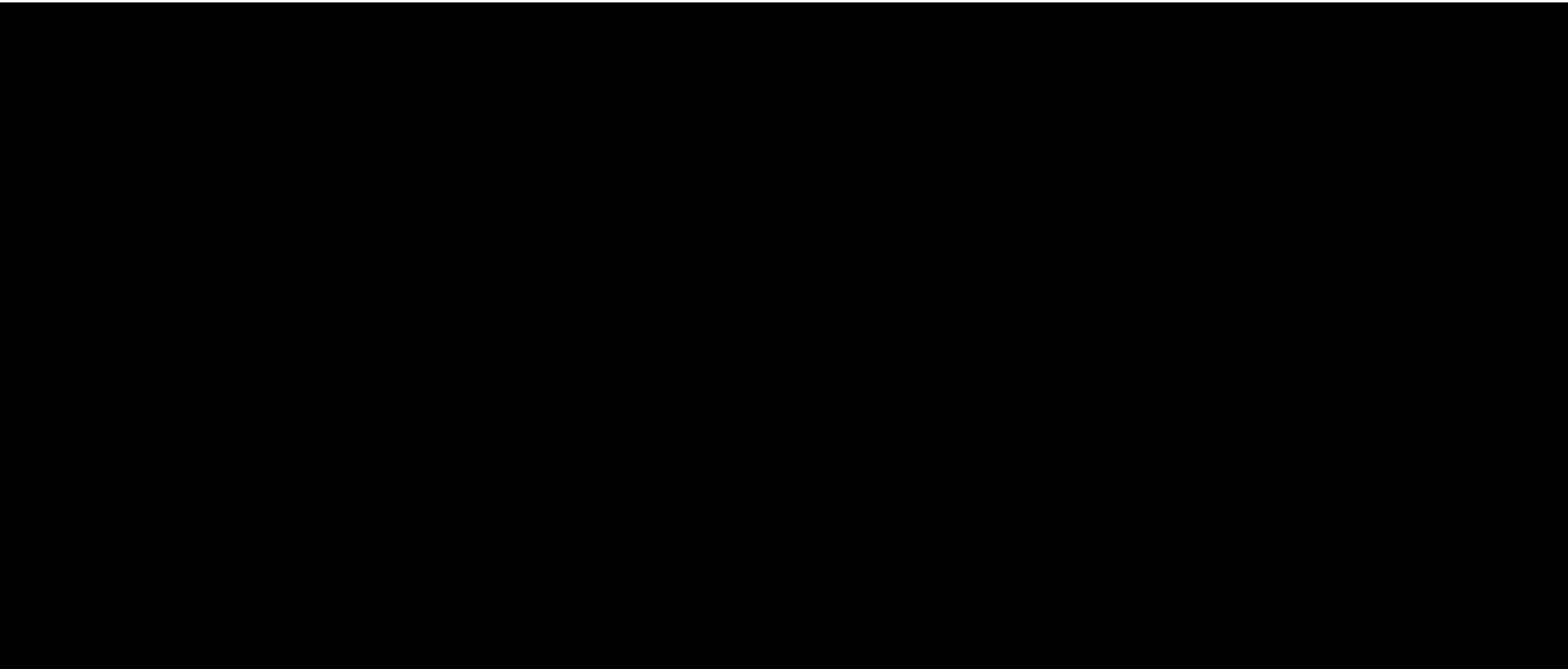

चलचित्र (नयी व पुरानी पीढ़ियों के बीच बढ़ता हुआ अंतर व एकाकीपन)

केस स्टडी

SR_CTZ_ABUSE (वरिष्ठ नागरिक से गाली गलौच)

- इवेंट नं - P13051903617
- कॉलर ने क्या कहा

- इस घटना का संक्षिप्त विवरण बनाएं
- इस घटना में एक PRV कर्मी के रूप में आप से क्या अपेक्षा की जाती है?
- आप को इस घटना की सूचना मिलने पर आप क्या-क्या करेंगे?

घटना सम्बन्धित विवरण

CO

Event Number	Call Time Stamp	Dispatch Time Stamp	Incident Time
P13051903617	13-05-2019 08:16:32	13-05-2019 08:19:53	--

District	Police Station	Area	Tehsil
FIROZABAD	JASRANA	FRZ-AREA-RURAL	--

Event Type	Event Sub Type	Incident Address
DOM_VIOLENCE	SR_CITIZEN_ABUSE	FRZ-JASRANA SAIDPUR JASRANA FIROZABAD

Caller Name	CallerNumber	Caller Address	Caller Type
AMRIT LAL S/O BANVARI LAL	9675529596	,NULL,NULL,NULL,FIROZABAD,UPW,205101	GENERAL

Remarks

CALLER NUMBER:9675529596 //---#LBS CALL---FRZ-JASRANA SAIDPUR JASRANA FIROZABAD----घटना अभी की है------घटना ------
AMRIT LAL जी की बहु घर वालो को गली दे रही है ..परेसान कर रही है ,107,INFORM TO PRV FOR N/AFRZ0677,INFO TO PRV 0677/ PS JASRANA,MOKE PAR PRV 0676MOJUD H EVENT NO 3257 SAM H

CO Name(CO id)

KHUSHABU SAHU (608827)

विचारणीय बिंदु

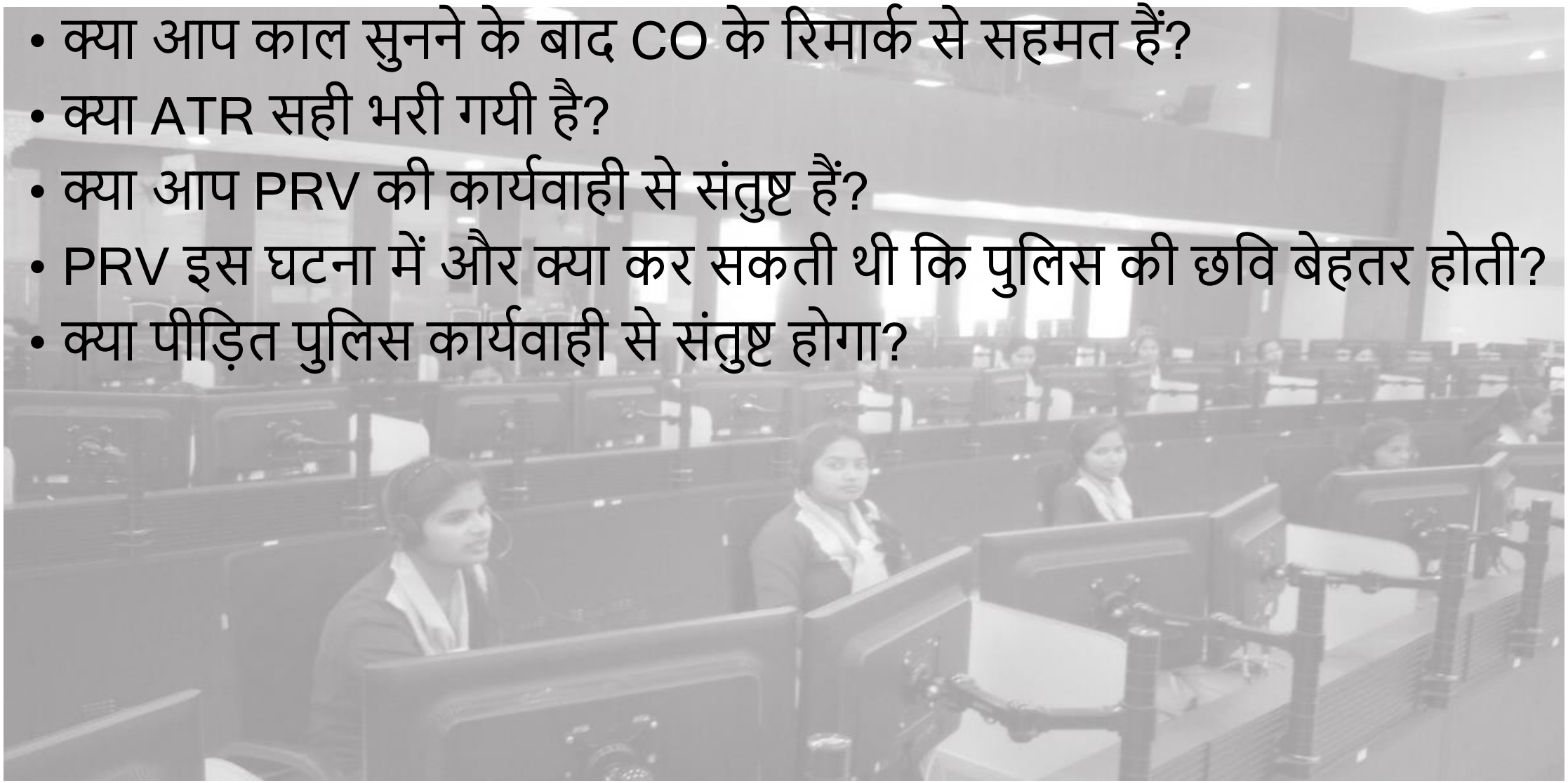

- क्या आप काल सुनने के बाद CO के रिमार्क से सहमत हैं?
- क्या ATR सही भरी गयी है?
- क्या आप PRV की कार्यवाही से संतुष्ट हैं?
- PRV इस घटना में और क्या कर सकती थी कि पुलिस की छवि बेहतर होती?
- क्या पीड़ित पुलिस कार्यवाही से संतुष्ट होगा?

वरिष्ठ नागरिकों के हित में कार्यरत कुछ प्रमुख गैर सरकारी संगठन

- हेल्प-एज इंडिया- 1800 180 1253 - www.helpageindia.org : त्वरित सहायता, पुनर्वास, वृद्धाश्रम
- एज-वेल फाउंडेशन- 011 29836486/ 29840484 - www.agewellfoundation.org : सहायता, पुनर्वास, वृद्धाश्रम
- दादा-दादी- care@dadadadi.org - http://dadadadi.org : कानूनी सहायता, डॉक्टरी सहायता, विभिन्न योजनाओं की जानकारी (Integrated Portal)

वरिष्ठ नागरिकों के सम्बन्ध में विधिक प्रावधान

यदि पर्याप्त साधनों वाला कोई व्यक्ति अपने माता-पिता (जो अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं) का भरण-पोषण करने में उपेक्षा करता है या भरण-पोषण करने से इंकार करता है तो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट ऐसी उपेक्षा या इन्कार के साबित हो जाने पर ऐसे व्यक्ति को यह निर्देश दे सकता है कि माता-पिता के भरण-पोषण के लिए ऐसी मासिक दर पर जिसे मजिस्ट्रेट ठीक समझे मासिक भत्ता दे **-धारा 125(1घ) दण्ड प्रक्रिया संहिता**

“समाज की बदलती संरचना एवं परिस्थितियों को देखते हुए वरिष्ठ नागरिकों और माता-पिता की मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता में भरण-पोषण के सम्बन्ध में दिया गया उपर्युक्त प्रावधान अपर्याप्त थे जिसके कारण संसद द्वारा वर्ष 2007 में नया कानून पारित किया गया”

वरिष्ठ नागरिकों के सम्बन्ध में विधिक प्रावधान

"माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007"

ऐसे नागरिक जो 60 वर्ष या उससे अधिक की आयु के हैं अथवा किसी आयु के ऐसे माता-पिता जो स्वयं अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं, अपनी संतानों या नातेदारों/विधिक उत्तराधिकारियों से "माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007" के प्रावधानों के अंतर्गत भरण-पोषण प्राप्त कर सकते हैं।

"माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007" माता-पिता तथा वरिष्ठ नागरिक का भरण-पोषण एवं देख-रेख के लिए प्रभावी प्रावधान है जो वर्ष 2014 से उत्तर प्रदेश में लागू हैं।

- **इस अधिनियम के प्रयोजनों के क्रियान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों की देख-रेख तथा कल्याण नियमावली उत्तर प्रदेश सरकार की**

वरिष्ठ नागरिकों के सम्बन्ध में विधिक प्रावधान

- भरण-पोषण अधिकरण आदेश के विरुद्ध अपीलीय अधिकरण जिसका पीठासीन अधिकारी जिला-मजिस्ट्रेट होते हैं, के समक्ष भरण-पोषण अधिकरण के आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकती है
- इस सम्बन्ध में प्रत्येक उपखण्ड मुख्यालय पर, राज्य सरकार द्वारा भरण-पोषण अधिकरण गठित किया गया है, जिसके समक्ष पीड़ित वरिष्ठ नागरिक को आवेदन करना चाहिए- (उपखंड अधिकारी, सहायक उपखण्ड अधिकारी व अपर नगर मजिस्ट्रेट)
- भरण-पोषण अधिकरण द्वारा पक्षकारों की सुनवाई के उपरान्त अधिकतम 10,000 रु० की राशि तक भरण-पोषण दिए जाने का आदेश जारी कर सकता है

वरिष्ठ नागरिकों के सम्बन्ध में विधिक प्रावधान

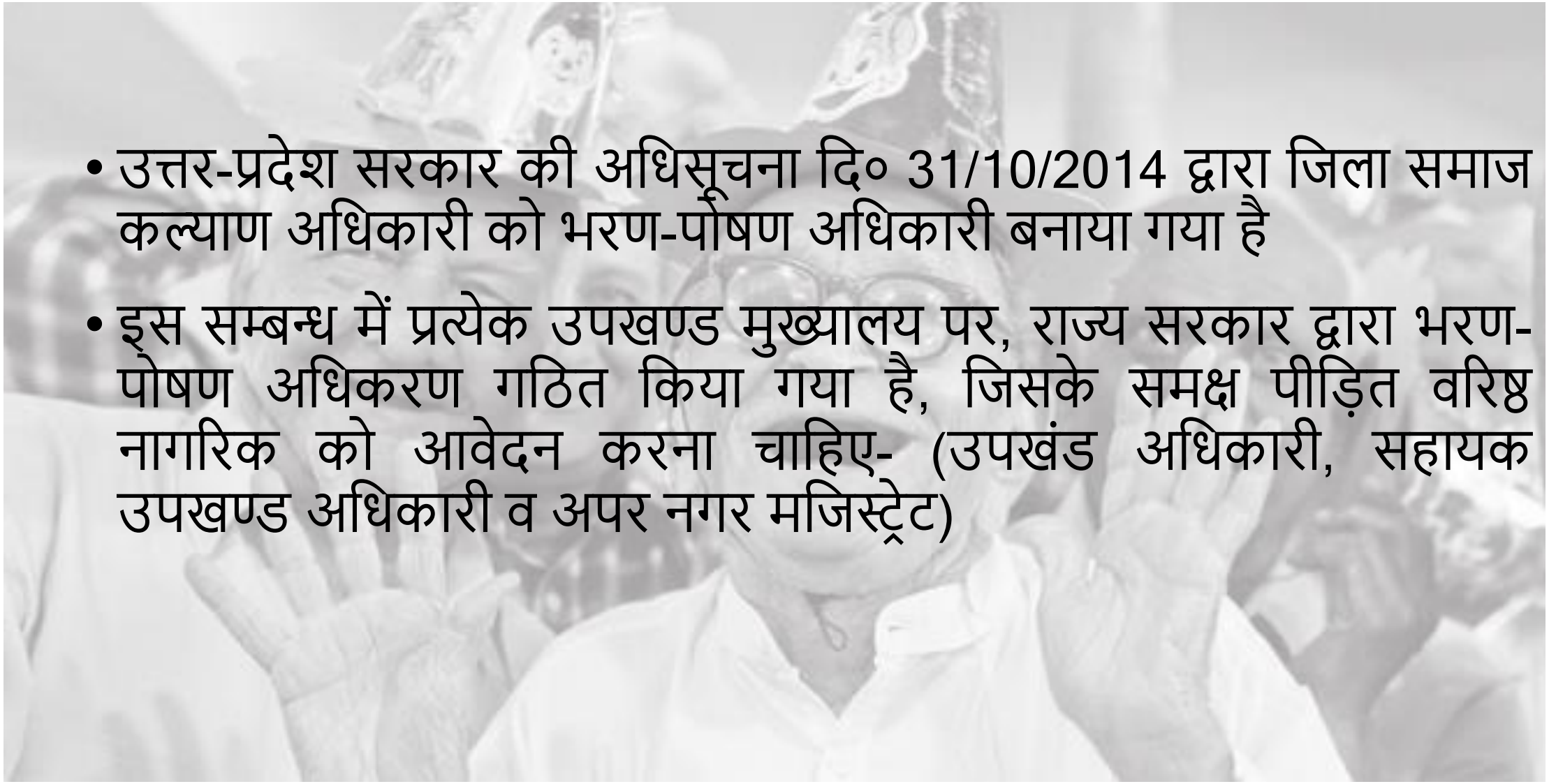

- उत्तर-प्रदेश सरकार की अधिसूचना दि० 31/10/2014 द्वारा जिला समाज कल्याण अधिकारी को भरण-पोषण अधिकारी बनाया गया है
- इस सम्बन्ध में प्रत्येक उपखण्ड मुख्यालय पर, राज्य सरकार द्वारा भरण-पोषण अधिकरण गठित किया गया है, जिसके समक्ष पीड़ित वरिष्ठ नागरिक को आवेदन करना चाहिए- (उपखंड अधिकारी, सहायक उपखण्ड अधिकारी व अपर नगर मजिस्ट्रेट)

भरण-पोषण क्या है ?

आहार, वस्त्र, निवास, चिकित्सीय परिचर्या और उपचार उपलब्ध कराना भरण-पोषण में शामिल है

भरण-पोषण का दावा कौन कर सकता है?

वरिष्ठ नागरिक अर्थात भारतीय नागरिक जिसने 60वर्ष या उससे ऊपर की आयु पूर्ण कर ली है

माता-पिता अर्थात जैविक, दत्तक या सौतेला चाहे उसने 60वर्ष की आयु पूर्ण की हो या न की हो

भरण-पोषण का दावा किससे किया जा सकता है ?

- माता-पिता या दादा-दादी की दशा में उसके एक या अधिक बालकों के विरुद्ध जो अवयस्क नहीं है,

भरण-पोषण क्या है ?

- वरिष्ठ नागरिक के नातेदार के पास पर्याप्त संसाधन होना चाहिए
- यदि एक से अधिक नातेदार है तो भरण-पोषण उनके द्वारा विरासत में प्राप्त होने वाली सम्पति के समानुपातिक होगा

भरण-पोषण का आवेदन कौन कर सकता है ?

- यथास्थिती वरिष्ठ नागरिक या माता-पिता अथवा यदि वह अक्षम है तो उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति अथवा संगठन अथवा अधिकरण स्वप्रेरणा से स्वयं संज्ञान ले सकता है
- भरण-पोषण का आवेदन एक या एक से आधिक व्यक्तियों के विरुद्ध **'प्रारूप क'** में किया जा सकता है जिसकी प्राप्ति **'प्रारूप ख'** में स्वीकार की जायेगी और बालक तथा नातेदारों को नोटिस **'प्रारूप ग'** में भेजी जायेगी
- अधिकरण के समक्ष भरण-पोषण का आवेदन में कार्यवाही लंबित रहने के

भरण-पोषण क्या है ?

भरण-पोषण का आवेदन कौन कर सकता है ? (धारा 5)

- आवेदन पर सुनवाई के पूर्व अधिकरण इसे सुलह अधिकारी को एक माह के अन्दर अपना निष्कर्ष प्रस्तुत करने हेतु **'प्रारूप ड़'** में संदर्भित किया जाएगा और सौहार्द पूर्ण सुलह हो जाने पर अधिकरण तदनुसार आदेश पारित करेगा
- पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देते हुए भरण-पोषण की धनराशि तय करने हेतु जांच की जाएगी
- नोटिस की तामिला(प्राप्त कराना) के 90दिनों के अन्दर अधिकरण द्वारा भरण-पोषण आवेसन का निस्तारण किया जाएगा
- बालकों या नातेदार द्वारा जानबूझकर तामिला(प्राप्त कराना) से बचने अथवा जानबूझकर उपस्थित न होने पर अधिकरण एकपक्षीय कार्यवाही कर सकता है

भरण-पोषण क्या है ?

- भरण-पोषण का भुगतान भरण-पोषण के आवेदन की तिथि से किया जाएगा
- यदि बालक या नातेदार आदेश के अनुपालन में असफल रहते हैं तो देय तिथि के 3माह के अन्दर अधिकरण द्वारा वसूली वारन्ट जारी किया जा सकता है

अधिकारिता और प्रक्रिया-

- बालकों या नातेदारों के विरुद्ध किसी जनपद में कार्यवाही की जा सकती है जहाँ वरिष्ठ नागरिक या माता-पिता निवास करते हैं या अन्तिम बार निवास किया है अथवा जहाँ बालक या नातेदार निवास करते हैं **-धारा 6**

भरण-पोषण का भुगतान

- वरिष्ठ नागरिक या माता-पिता द्वारा या तो दण्ड प्रक्रिया संहिता अथवा इस अधिनियम के अन्तर्गत भरण-पोषण का दावा किया जा सकता है
- अधिकरण द्वारा आदेश सुनाए जाने की तिथि से 30दिवस के अन्दर बालक अथवा नातेदार द्वारा भरण-पोषण की पूरी रकम जमा की जायेगी **-धारा 13**
- दावा किए जाने पर अधिकरण द्वारा भरण-पोषण के अलावा ब्याज के भुगतान का भी आदेश किया जा सकता है **-धारा 14**
- आदेश की तिथि से 60 दिवस के अन्दर पीड़ित वरिष्ठ नागरिक अथवा माता-पिता द्वारा अधिकरण के आदेश के विरुद्ध अपीलीय अधिकरण (जिला मजिस्ट्रेट) के समक्ष अपील दायर/प्रस्तुत किया जा सकता है **-धारा 16**
- वरिष्ठ नागरिक या माता-पिता यदि चाहे तो भरण-पोषण अधिकारी, अधिकरण अथवा अपीलीय अधिकरण के समक्ष कार्यवाही में उनकी तरफ से प्रस्तुत हो सकते हैं **-धारा 18**

अपराध और विचारण के लिए प्रक्रिया

कतिपय परिस्थितियों में सम्पत्ति के अन्तरण का शून्य होना- यदि सम्पत्ति का दान के रूप में या अन्यथा अन्तरण इस शर्त के अधीन रहते हुए वरिष्ठ नागरिक द्वारा किया गया है कि उसे बुनियादी सुख सुविधाएं और बुनियादी भौतिक जरूरतें प्रदान करेगा और वह इससे इंकार करता है या असफल रहता है तो सम्पत्ति का अन्तरण कपट या प्रपीड़न या अनावश्यक प्रभाव में किया गया माना जाएगा और अधिकरण द्वारा वरिष्ठ नागरिक के आवेदन पर शून्य घोषित किया जाएगा, कोई सम्पदा जिससे वरिष्ठ नागरिक को भरण-पोषण प्राप्त करने का अधिकार है ऐसी सम्पदा या उसका कोई भाग किसी को अन्तरित किया जाता है, और उसे इस अधिकार की जानकारी है या अन्तरण बिना किसी प्रतिफल के है तो वरिष्ठ नागरिक का अधिकार अन्तरण के बाद भी लागू रहेगा यदि वरिष्ठ नागरिक अधिकार लागू कराने में असमर्थ है तो **धारा 5(1)** में निर्दिष्ट किसी संगठन द्वारा कार्यवाही की जा सकती है

वरिष्ठ नागरिकों को अरक्षित छोड़ना और उनका परित्याग करना दण्डनीय

वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण अधिकार

- माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 में पारित किया गया और उत्तर प्रदेश में 2014 से लागू
- उक्त अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु राज्य शासन द्वारा माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण नियम 2007
- धारा 7 की उपधारा 1 के तहत प्रदेश के समस्त जिलों के उपखण्डों में भरण पोषण अधिकरण गठित
- धारा 6 की उपधारा 6 के अंतर्गत सुलह अधिकारी के रूप में नियुक्त व्यक्तियों का पैनल गठित करना
- धारा 18(1) के तहत सामाजिक न्याय विभाग के समस्त जिला अधिकारी,

उ०प्र० वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण अधिनियम 2014 के विभिन प्रारूप

- प्रारूप 'क' तहसील से प्राप्त होता है इस प्रारूप 'क' को भरकर पीड़ित पक्ष अपनी याचिका दायर कर सकता है
- प्रारूप 'ख' पीड़ित पक्ष को रसीद के तौर पर मिलता है तथा यह याचिका दायर होने का साक्ष्य है तथा इसी के माध्यम से याची को बाद की सुनवाई की तारीख दी जाती है
- प्रारूप 'ग' के माध्यम से सुनवाई की तारीख पर प्रतिवादी पक्ष को सूचना दी जाती है
- प्रारूप 'घ' के माध्यम से प्रतिवादी पक्ष को सुनवाई के दिन प्रस्तुत होने का आदेश दिया जाता है
- प्रारूप 'ङ' के माध्यम से सुलह अधिकारी की नियुक्ति कर उसे वाद तथा सुनवाई की तिथि की जानकारी दी जाती है

उ०प्र० वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण अधिनियम 2014 के विभिन प्रारूप

- प्रारूप 'च' के माध्यम से दोनों पक्षों का राजीनामा लिया जाता है
- प्रारूप 'छ' के माध्यम से समझौते की शर्तों को आदेश में परिवर्तित किया जाता है
- प्रारूप 'ज' के माध्यम से समस्त कार्यवाही को दर्ज किया जाता है
- प्रारूप 'झ' वादी अथवा प्रतिवादी के समझौते के आदेश के विरुद्ध अपील प्राधिकरण में अपील करने में प्रयुक्त होता है
- प्रारूप 'ञ' के माध्यम से अपील की सूचना तथा सुनवाई की तारीख बताई जाती है
- प्रारूप 'ट' के माध्यम से आवेदक तथा प्रतिवादी को सुनवाई की तारिख पर प्राधिकरण के सम्मुख प्रस्तुत होने का आदेश पारित किया जाता है

वरिष्ठ नागरिक सम्बन्धी मामलों में PRV कर्मियों को आने वाली समस्याएँ

- PRV कर्मियों को वरिष्ठ नागरिकों से सम्बन्धित कार्यरत संस्थाओं व गैर सरकारी संस्थानों के विषय में जानकारी का अभाव है, जिसके फलस्वरूप प्राप्त घटनाओं में उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता है
- कार्यरत संस्थानों व गैर सरकारी संगठनों और पुलिस कर्मियों के बीच आपसी समन्वय व नियमों की जानकारी न होना
- प्रत्येक जिले में वृद्धाश्रम व गैर सरकारी संगठन का न होना, जिसके कारण वरिष्ठ नागरिकों को समय पर सुविधा मुहैया नहीं हो पाती
- NGO संस्थाओं का विलम्ब से पहुंचना
- सम्बन्धित थाना पुलिस का सहयोग न मिलना

क्विज़

वरिष्ठ नागरिक का भरण-पोषण का क्या अधिकार है?

- वरिष्ठ नागरिकों को अधिकार के बारे में सम्पूर्ण जानकारी न होना
- माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007, उ०प्र० में 2014 से लागू धारा 7 की उपधारा 1 के तहत प्रदेश के समस्त जिलों के भरण-पोषण अधिकरण गठित
- यह अधिनियम सिर्फ उन अभिभावकों के लिए प्रयाप्त हैं, जिनके बच्चे उन्हें अपने घर से बेघर कर देते हैं
- इनमें से सभी

उत्तर: माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007, उ०प्र० में 2014 से लागू धारा 7 की उपधारा 1 के तहत प्रदेश के समस्त जिलों के भरण-पोषण अधिकरण गठित

क्विज़

NGO की क्या सहभागिता है ? इससे हम वरिष्ठ नागरिकों की कैसे मदद कर सकते हैं?

- ऐसे स्थिति में पुलिस NGO की मदद ले सकती है तथा NGO की सहभागिता से समस्या का निवारण तथा अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करने में मदद मिलती है, जिसके लिए पुलिस कर्मी सम्बन्धित जनपद में सरकारी तथा गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित विभिन्न सुविधाएं प्राप्त करा सकती है |
- इनमें से कोई नहीं
- ऐसे वृद्ध लोंगों को NGO गैर सरकारों संस्थाओं से काफी दवाइयाँ भी निःशुल्क दी जाती हैं
- ऐसे वरिष्ठ नागरिक जिनकी आर्थिक परिस्थिति ठीक न हों वो भी उसकी

क्विज़

PRV स्टाफ़ को रास्ते में कोई वृद्ध मिले तो उसे वृद्धाश्रम में कैसे दाखिल करें?

- ऐसे पीड़ित वरिष्ठ नागरिक जो कि अपने आश्रितों के व्यवहार से काफी झुब्ध होकर, वृद्ध आश्रम का सहारा लेते हैं |
- PRV को रास्ते में कोई व्यक्ति मिले तो मानसिक रूप से स्वस्थ हो और स्वेच्छा से वृद्धाश्रम में जाने को तैयार हो उसे PRV दाखिला करा सकती है
- ऐसी वरिष्ठ दम्पत्ति जिन्हें NGO/संस्थानों/संगठनों की जानकारी का अभाव होना
- इनमें से कोई नहीं

उत्तर: PRV को रास्ते में कोई व्यक्ति मिले तो मानसिक रूप से स्वस्थ हो और स्वेच्छा से वृद्धाश्रम में जाने को तैयार हो, उसे PRV दाखिला करा सकती है

केस स्टडी

प्रश्नोत्तर

निष्कर्ष

स्त्रोत

क्र० सं०	विभाग/संस्था/कार्यालय	यूआरएल/प्रकाशन/रिपोर्ट
1	Help-Age India	https://www.helpageindia.org/aboutus/research
2	UP112	SOP - UP112

शपथ

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

"मैं ईश्वर को साक्षी मानकर यह शपथ लेता हूँ कि समाज में बुजुर्गों के प्रति अत्याचार नहीं करूँगा, न अपने समक्ष होने दूंगा यदि ऐसा कोई कृत्य होता भी है तो मैं बुजुर्गों को पूर्ण सहायता उपलब्ध करने व कराने का यथा संभव प्रयास करूँगा"

जय हिन्द

112 आपात सेवा सोशल मीडिया

धन्यवाद!